मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल – 462016

फोनः 0755- 2463585, 2430154, फैक्सः– 4004137

ई मेलः– secretary@mperc.nic.in वैबसाईटः– www.mperc.in

क्रमांकःमप्रविनिआ / डी(टी) / 2023 / 2930 **दिनांक : 28 / 12 / 2023**

सार्वजनिक सूचना

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड ने आयोग के द्वारा जारी बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 19.05.2021 सहपठित शुद्धि पत्र दिनांक 09.09.2021 के द्वारा म.प्र.पा.जन.कं.लि. के विद्युत गृहों के वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अवधारित उत्पादन टैरिफ के सत्यापन हेतु याचिका दायर की है। यह याचिका विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और धारा 64 के साथ पठित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 के तहत दायर की गई है।

वास्तविक वार्षिक उपलब्धता गुणांक प्रयुक्त करने के बाद वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु म.प्र.पा.ज.कं.लि. द्वारा वार्षिक स्थायी लागत (ए.एफ.सी) के विरूद्ध मांगी गई सत्यापन राशि का विद्युत गृह–वार विवरण निम्न तालिका में वर्णित है :–

(रू. करोड़ में)

क्रमांक	विद्युत गृह	ए.एफ.सी आयोग के आदेश के अनुसार	ए.एफ.सी नार्मस अनुसार वास्तविक वार्षिक उपलब्धता के आधार पर	अन्तर राशि
1.	अमरकंटक ता.वि.गृ.–3	164.21	158.02	(–)6.19
2.	सतपुड़ा ता.वि.गृ.–2 एवं 3	424.78	(–)7.60	(–)432.38
3.	सतपुड़ा ता.वि.गृ.–4	615.42	610.07	(–)5.35
4.	संजय गांधी ता.वि.गृ–1 एवं 2	463.82	401.79	(–)62.02
5.	संजय गांधी ता.वि.गृ–3	311.19	306.28	(–)4.91
6.	श्री सिंगाजी ता.वि.गृ.–1	1277.12	1032.32	(–)244.80
7.	श्री सिंगाजी ता.वि.गृ.–2	1340.21	942.67	(–)397.53
8.	**ताप योग**	**4596.75**	**3443.56**	**(–)1153.19**
9.	गांधीसागर ज.वि.गृ.	15.71	12.01	(–)3.70
10.	पेंच ज.वि.गृ.	27.75	27.11	(–)0.64
11.	राजघाट ज.वि.गृ.	15.09	12.60	(–)2.49
12.	बरगी ज.वि.गृ.	17.99	18.58	0.59
13.	बाणसागर ज.वि.गृ.–1,2 एवं 3	153.65	101.22	(–)52.43
14.	बाणसागर ज.वि.गृ.–4	9.55	10.94	1.40
15.	बिरसिंहपुर ज.वि.गृ.	6.15	4.47	(–)1.68
16.	मढीखेडा ज.वि.गृ.	19.05	21.90	2.86
17.	जल योग	264.93	208.82	(–)56.10
	कुल योग	**4861.68**	**3652.39**	**(–)1209.29**

आयोग ने याचिका स्वीकार कर इसे याचिका संख्या 71 / 2023 के रूप में दर्ज किया है ।

इस संदर्भ में आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति उनके तथ्यों की पुष्टि में दस्तावेजो और साक्ष्यों की प्रतियों के साथ उनकी आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव सीधे सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, ''मेट्रोप्लाजा'', पंचम तल, ई–5 अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को इस प्रकार भेज दें कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **21 दिनों** के अंदर आयोग कार्यालय पहुँच जाएं । इसकी एक प्रति मुख्य अभियंता (मा.सं. एवं.प्रशा.) म.प्र.पा.जन.कं.लि., प्रथम तल, खंड क्रमांक 9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008 को भी भेज दें। आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों की अग्रिम प्रति को फैक्स और ई–मेल से भी भेजा जा सकता है ।

इच्छुक व्यक्ति याचिका (अंग्रेजी संस्करण) की प्रति कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक आयोग कार्यालय या मुख्य अभियंता (मा.सं.एवं.प्रशा.) म.प्र.पा.जन.कं.लि., प्रथम तल, खंड क्रमांक 9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008 से प्राप्त कर सकता है। इसके लिए रू. 200 नकद या एमपीईआरसी के नाम से भोपाल में देय या म.प्र.पा.जन.कं.लि., के नाम से जबलपुर किसी अनुसूचित बैंक का 200 रू. का डिमाण्ड ड्राफ्ट देना होगा। याचिका की प्रति रू. 50 अतिरिक्त डाक शुल्क भुगतान कर डाक से भी प्राप्त की जा सकती है। यह याचिका आयोग की वेबसाइट www.mperc.in पर भी उपलब्ध है ।

इस प्रकरण में जन सुनवाई का आयोजन दिनांक **13.02.2024** को प्रातः 11:00 बजे किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. भेजकर उक्त जन सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध दिशा निंदेशों के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव